न्यायालय– प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी– श्री एस0एस0गर्ग)

प्रकरण क्रमांक–96/2016 एच0एम0ए0
फाईलिंग नम्बर 230201014052016
संस्थित दिनांक 18.07.2016

[redacted]

.....**वादिया**

बनाम

[redacted]

.....**प्रतिवादी**

.....

वादिया द्वारा– [redacted] अधिवक्ता।
प्रतिवादी द्वारा– [redacted], अधिवक्ता।

.....

–::– (**नि र्ण य**) –::–
(आज दिनांक 23.01.2017 को घोषित)

1. इस आदेश के द्वारा पक्षकारों की ओर से पारस्परिक सहमति के आधार पर धारा 13 (बी) एच0एम0ए0 के तहत विवाह विच्छेद की आज्ञाप्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया का विवाह प्रतिवादी के साथ हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार सप्तप्रदी प्रथा के अनुसार दिनांक 28.04.2004 को [redacted] में विधिवत् संपन्न हुआ। शादी के उपरांत दिनांक 15.08.11 तक वादिया प्रतिवादी के साथ रही और इसी मध्य दोनों के मध्य आपसी मतभेद हो जाने से वादिया दिनांक 15.08.2011 को अपने मायके चली गई, तब से वह प्रतिवादी से पृथक निवास कर रही है। वादिया एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी मतभेद प्रबल हो जाने से उनका पति–पत्नि के रूप से एक साथ संभव नहीं रहा। परिवारजन द्वारा

समझाने पर भी एक साथ रहने को तैयार नहीं हुये। उभयपक्ष ने अपना एक दूसरे से संपूर्ण सामान जेवर आदि प्राप्त कर लिया है, अब कोई लेना देना शेष नहीं है। वादिया ने प्रतिवादी से 1,20,000/– रूपये प्राप्त कर लिये हैं। अब कोई लेना देना शेष नहीं है। इस प्रकार याचिका प्रस्तुत कर वादिया एवं प्रतिवादी के मध्य संपन्न हुये विवाह दिनांक 28.04.2004 को आपसी सहमति के आधार पर विच्छेदित घोषित किया जाकर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया हैं

3– उभयपक्षों ने दिनांक 18.07.2016 को पारस्पिरिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। पक्षकारों का प्रांरभिक परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि वह स्वेच्छया से पारस्पिरिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद चाहते हैं। पक्षकारों को आपसी सामंजस्य बनाने के लिये 6 माह का अवसर दिया गया। 6 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् दिनांक 19.01.2017 को वादिया एवं प्रतिवादी का जब पुनः परीक्षण किया गया तो उन्होंने पारस्पिरिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञाप्ति जारी करने का निवेदन किया है।

4. वादिया [redacted] एवं प्रतिवादी [redacted] ने अपनी पहचान को साबित करने के लिये आम आदमी के अधिकार की छायाप्रतियॉ पृथक–पृथक प्रस्तुत की हैं।

5– वादिया [redacted] ने अपने कथन में बताया है कि उसकी शादी दिनांक 28.04.2004 को [redacted] के साथ [redacted] में हिन्दु रीति रिवाज अनुसार हुई थी। विवाह के बाद वह तीन–चार साल साथ रहे। उनके कोई संतान नहीं है। उनके मध्य आपसी मतभेद गंभीर हो जाने के कारण उनका एक साथ रहना संभव नहीं है। उसने अपने आजीवन भरण पोषण 1,20,000/– रूपये प्राप्त कर लिये हैं। अब उसका कोई लेना–देना शेष नहीं है। उसका सहमति के आधार पर विवाह विच्छेदित कर दिया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी [redacted] ने भी अपने कथनों में वादिया श्रीमती [redacted] के कथनों का समर्थन करते हुये कहा है कि उसके और वादिया के मध्य संपन्न विवाह दिनांक 28.04.2004 को विच्छेदित घोषित किया जावे।

6. पक्षकारों द्वारा पारस्पिरिक सहमति के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है। विवाह विच्छेद की याचिका दिनांक 18.07.2016 को प्रस्तुत की गई। पक्षकारों को 6 माह का समय भी दिया गया। 6 माह पश्चात् भी उनके बीच कोई पारस्पिरिक

सहमति नहीं बनी। पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन अंतर्गत धारा 13(बी) एच.एम.ए. स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः याचिका स्वीकार की जाती है। वादिया श्रीमती [redacted] पत्नि [redacted] पुत्री श्री [redacted] एवं प्रतिवादी [redacted] पुत्र श्री [redacted] के बीच दिनांक 28.04.2004 को संपन्न विवाह को पारस्पिरिक सहमति के आधार पर विच्छेदित घोषित किया जाता है। उभयपक्ष आज दिनांक 23.01.2017 से पति–पत्नि नहीं रहेंगे।

7. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय हो।

निर्णय के अनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

(एस0एस0गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
मुरेना (म0प्र0)

आदेश मेरे बोलने पर लिखा गया एवं
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

(एस0एस0गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
मुरेना (म0प्र0)